



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2013/पौष 12, 1934

No. 31]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2013/PAUSA 12, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2013

New Delhi, the 2nd January, 2013

का.आ. 32(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) तथा धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री रंजन चटर्जी, नं. 25 न्यू मोती बाग, नई दिल्ली-110023, को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

S.O. 32(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 6 and Section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Shri Ranjan Chatterjee, No. 25, New Moti Bagh, New Delhi-110023, as the Expert Member of the National Green Tribunal with effect from the date of publication of this notification for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years, whichever, is earlier.

[फा. सं. 17(30)/2012-पीएल/एनजीटी (पार्ट)]

[F. No. 17(30)/2012-PL/NGT (Pt.)]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

SURJIT SINGH, Jt. Secy.